संख्या-593/2025/आई/1148915/23-1-25/003-23-1002(002)/216/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 20 नवम्बर, 2025**

विषय- सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 में जमा धनराशि को वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष भुगतान हेतु राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप कार्यों पर भारित कर बिटुमिन क्रय हेतु किये गये भुगतान के समायोजन हेतु आई0ओ0सी0एल0 से वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष **विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 11 मार्गों हेतु कुल रू0 2,97,38,000/- (रूपये दो करोड़ सत्तानबे लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	नि.ख.-2 आगरा	जटउवा चूहरपुर सिरोहगढ मार्ग से मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत नवनिर्माण प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र तक	112 /2021/52 3 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20	47.20	94 28-03-2023	2.50	2.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	दिनांक 24.03.21				
2	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	नि.ख.-2 आगरा	एत्मादपुर में नगला लाले, चावली, बुर्ज कूपा, एत्मादपुर नहर पटरी(अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-8 से बांस किशन सिंह के स्कूल तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	115/2021/ 596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20 दिनांक 25.03.21	94.58	94 28-03-2023	29.64	29.64
3	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	नि.ख.-2 आगरा	अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री कुशल सिंह रावत जी के ग्राम बीसलपुर एवं राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री रजत सिंह जी के ग्राम गढ़ी बलजीत को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण (छूटी कड़ी) कार्य	40/2021/1 937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी दिनांक 07.01.202 2	37.85	113 23.03.2023	1.85	1.85
4	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	नि.ख.-2 आगरा	चन्दौसी आगरा तांतपुर कोट मार्ग (राज्य मार्ग-39) के किमी 245 में ट्रक ले वाई का निर्माण कार्य। (लम्बाई 0.240 किमी)	53/2021/ 383 रासनि/23-1-21-85 रासनि/20 दिनांक - 14-02-2021	49.91	113 23-03-2023	1.16	1.15
5	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	नि.ख.-2 आगरा	चन्दौसी आगरा तांतपुर कोट मार्ग राज्य मार्ग-39) के किमी 236 में ट्रक ले वाई का निर्माण कार्य।	53/2021/ 383 रासनि/23-1-21-85 रासनि/20 दिनांक - 14-02-2021	51.35	113 23-03-2023	1.22	1.21
6	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	नि.ख.-2 आगरा	मेधावी छात्र अजीत पुत्र श्री गब्बर सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (ज्वचचमते-2020)	109/2020 /812 रासनि/23-1-20-67 रासनि/20 दिनांक 27.08.20	11.66	113 23-03-2023	1.00	0.99
7	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-	प्रा.ख. कानपुरन गर	लखनऊ झांसी मार्ग के किमी 93(850) में पुनः निर्माण का कार्य।	57/2021/ 257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20	440.75	CM-53 22-03-2023	60.57	60.57

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई0ओ0सी0 एल0 में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26, दिनांक 15.10.2025			दिनांक 23.02.2021				
8	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	प्रा.ख. कानपुरनगर	सलेमपुर मार्ग से चिन्तापुरवा सम्पर्क मार्ग	57/2021/257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20 दिनांक 23.02.2021	156.25	CM-53 22-03-2023	21.48	21.48
9	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	प्रा.ख. कानपुरनगर	लखनऊ झांसी मार्ग से छठ पूजा घाट तक सी.सी. मार्ग के नवनिर्माण का कार्य तथा छठ पूजा घाट के सौन्दर्यीकरण व पुनः निर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 ासनि/20 टीसी दिनांक 07.01.2021	283.35	B800045 08-02-2023	25.96	25.96
10	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	प्रा.ख. कानपुरनगर	ग्राम खडगपुर से जवासी बगिया के मध्य छूटी कड़ी के नवनिर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 ासनि/20 टीसी दिनांक 07.01.2021	77.04	B800045 08-02-2023	7.08	7.08
11	1457सी/191सी /आईओसीएल1 457सी/191सी/ आईओसीएल/5 054/2025-26, दिनांक 15.10.2025	प्रा.ख. मऊ	मऊ-सुल्तानीपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य। (अजिमा)	360 रासनि /23-1-2016-227 रासनि/16 दिनांक 23.06.2016	2624.51	DT03296 29.4.24	144.95	144.95
							कुल योग-	**297.38**

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) तेल कम्पनियों से केवल वही धनराशियाँ वापस लेकर राजकोष में सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर दी जायेंगे, जिनका भुगतान 01.04.2022 से पूर्व किया गया है।

(9) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऑयल कम्पनियों से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया जाए, जिन कार्यों पर प्रथमतः उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर इसका व्यवर्तन नहीं किया जा सकता है। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषागार में जमा कर दी जाय।

(10) प्रश्नगत धनावंटन संबंधी आदेश की प्रति, कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-आई/952140/2025, दिनांक 02.05.2025 एवं पत्र संख्या-आई/962076/2025, दिनांक 14.05.2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) को प्रेषित की जाये। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रतियां भी अवश्य प्रेषित की जायें।

(11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 25.04.2025 के कार्यवृत्त दिनांक 02.05.2025 एवं 14.05.2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

में दिये गये निर्देशों तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने व्यय **रू0 2,97,38,000/- (रूपये दो करोड़ सत्तानबे लाख अड़तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक-5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-593/2025/आई/1148915 (1)/23-1-25/003-23-1002(002)/216/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in